संख्या-19/2025/888531/001-71-2099-2896-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरण की सूची अनुमोदित कर वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3459/वित्त एवं लेखा/क्रय/2025, दिनांक 18.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की सूची उनकी तकनीकी विशिष्टियों सहित अनुमोदित कराते हुए धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में एडवान्स डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 18.01.2025 में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी कुलसचिव की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व कुलसचिव का होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुन: सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस विन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
13. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058801 के.जी.एम.यू., लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-19/2025/888531/001-71-2099-2896-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. वित्त ई-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।